

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

संख्या : 14/2017

1. मोहन लाल पुत्र चतरा जाति मीणा भील निवासी सांखली तहसील बारां जिला बारां
2. महावीर पुत्र चतरा जाति भील निवासी सांखली तहसील बारां जिला बारां
3. रेवडी बाई पुत्री चतरा पत्नि नन्दकिशोर जाति भील निवासी सांखली हाल निवासी थाना तह0 अन्ता जिला बारां
4. कस्तूरी बाई बेवा चतरा जाति भील निवासी सांखली तह0 बारां
5. हरजीलाल पुत्र स्व0 रामगोपाल } जातिगण भील नि0 सांखली जिला बारां
6. जूआरीलाल पुत्र स्व0 रामगोपाल }
7. बल्फा पुत्र पांच्या वादीगण

♠ बनाम ♠

1. राजू पुत्र छोट्या } जातिगण भील निवासीगण अनन्तपुरा गिट्टी थ्रेसर
2. रामहेत पुत्र छोट्या } के पास कोटा
3. संतोष पुत्री छोट्या }
4. हीरालाल मृतक पुत्र बिरधा
- 4/1 बादाम बाई पुत्री हीरा पत्नि मोहनलाल भील
- 4/2 भारतराम पुत्र मदन
5. किशना मृतक पुत्र बिरधा
- 5/1 मदनलाल पुत्र किशना भील
- 5/2 सीताबाई पुत्री किशना पत्नि रामप्रसाद भील
6. रवीन्द्र पुत्र } हेमराज जाति मीणा निवासी सीमली
7. लोकेश पुत्र }
8. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)प्रतिवादीगण

वाद वास्ते अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0एक्ट वास्ते विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

पीठासीन अधिकारी : श्री हिम्मता राम मेहरा (आरएएस)

वकील वादी : श्री विरेन्द्र सिंह

वकील प्रतिवादी : श्री के0 के0 सोनी

दायरा दिनांक: 12.05.2017

पत्रावली पेश हुई बकुलाय फरीकेन उपस्थित संक्षेप में तथ्या इस प्रकार है, न्यायालय द्वारा

निर्णय दिनांक : 11.09.2017

पूर्व में जयें मि0 नं0 117/2014 दिनांक 12.03.2016 को यह प्रकरण निस्तारित किया गया था। पूनः पत्रावली न्यायालय भू0 प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा अपील संख्या 175/2016 निर्णय दिनांक 02.11.2016 से रिमाण्ड होकर पूनः सुनवाई हेतु प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया

उप विभाजन पत्रावली
दिनांक

को सुना गया। वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण इस प्रकरण को चलाना नहीं चाहते हैं। तथा पूर्व पारित निर्णय दिनांक 12.03.2016 में विश्वास व्यक्त करते हैं। तथा इसी प्रकार प्रकरण का निस्तारण चाहते हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी ने भी सहमति व्यक्त की। प्रकरण में तनकियात कायम किया जाना वांछित नहीं होने से बहस बकुलाय सुनी गयी।

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के शामिली खोते की आराजी ग्राम बलदेवपुरा पटवार हल्का पाडलिया तह0 मांगरोल जिला बारा में स्थित है। जिसके खाता संख्या 37 खसरा नं0 13 रकबा 0.99 है0, खसरा नं0 14 रकबा 1.07 है0, खसरा नं0 158 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 160 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 222 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 309 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 450/700 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 452 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 459 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 460/701 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 507 रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 544/725 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 591 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 593 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 595/739 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 644/737 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 658 रकबा 0.84 है0, खसरा नं0 659/738 रकबा 0.02 है0 कूल किता 18 रकबा 5.88 है0 स्थित है। जिसकी पुष्टी जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 से होती है।

यह है कि मद नं0 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी में वादी नं0 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/5 व रामगोपाल का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके स्थान पर उनके वारिसान वादी नं0 5 व 6 को वाद में पक्षकार बनाया गया है। जिनका हिस्सा 1/10 बल्फा का हिस्सा 1/10 व प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का हिस्सा 1/6 प्रतिवादी क0 4, 5 व 6 का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी नं0 6 व 7 का हिस्सा 7/30 इसी अनुसार प्रत्येक का हिस्सा राजस्व रेकार्ड में खातेदार की हेसियत से दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा अंकित है। यह है कि शामिली आराजी में से नाथूलाल को अपना सम्पूर्ण खाते का स्वयं का 1/6 हिस्सा व प्रेम बाई पुत्री रामरतन ने अपने सम्पूर्ण खाते में से स्वयं का 1/5 हिस्सा इस तरह सम्पूर्ण खाते में दोनो का 7/30 हिस्सा को विक्रय प्रतिवादी सं0 6 व 7 को कर दिया है। और उनका नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदार की हेसियत से दर्ज है। वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी में काफी मेहनत कर रूप्ये खर्च कर आराजी को साफ-सूथरा कर कृषि योग्य बनाया है। और काश्त कर रहे हैं। जबकि प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3, 4 व 5 डूंगरजावत तह0 सोयत(एम0पी0) निवास करते हैं। जिन्होंने कभी खेत में बलदेवपुरा अपने हिस्से की आराजी की सुध नहीं ली। और सुधार नहीं करवाया है। इसलिये प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 की नजर वादीगण के हिस्से की आराजी पर है। जो काश्त योग्य है। प्रतिवादी कम 1 ता 3 सरेआम कह रहे हैं कि हम हमारे हिस्से की आड में तुम्हारे कब्जे काश्त की आराजी को विक्रय करेंगे। क्योंकि अभी कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आराजी खाता संख्या 37 खसरा नं0 13 रकबा 0.99 है0, खसरा नं0 14 रकबा 1.07 है0, खसरा नं0 158 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 160 रकबा 0.11 है0,

रूप खिता फ्लैक्टर
नाम देव

222 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 309 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 450/700 रकबा 0.25 है0,
452 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 459 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 460/701 रकबा 0.08 है0,
507 रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 544/725 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 591 रकबा 0.48 है0,
593 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 595/739 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 644/737 रकबा 0.11
है0, खसरा नं0 658 रकबा 0.84 है0, खसरा नं0 659/738 रकबा 0.02 है0 कूल किता 18 रकबा 5.88 है0
पर वादी कम 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/5, व रामगोपाल का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके स्थान पर
उनके वारिसान वादी नं0 5 व 6 को वाद में पक्षकार बनाया गया है। जिनका हिस्सा 1/10 बल्फा का
हिस्सा 1/10 व प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का हिस्सा 1/6 प्रतिवादी कं0 4, 5 व 6 का हिस्सा 1/3 प्रतिवादी
नं0 6 व 7 का हिस्सा 7/30 इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में खातेदारान की हेसियत से दर्ज है।
प्रतिवादीगण से पृथक किया जाकर अलग खाते दर्ज किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद वादीगण व
काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर आपसी सहमति के अनुसार पूर्व में जारी आदेश दिनांक
12.07.2016 को हूँ-ब-हूँ(यथावत) स्वीकार किये जाने से आदेश दिया जाता है कि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी
ग्राम बलदेवपुरा तह0 मांगरोल में दर्ज आराजी खाता संख्या खाता संख्या 37 खसरा नं0 13 रकबा 0.99 है0,
खसरा नं0 14 रकबा 1.07 है0, खसरा नं0 158 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 160 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0
222 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 309 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 450/700 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0
452 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 459 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 460/701 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0
507 रकबा 0.52 है0, खसरा नं0 544/725 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 591 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0
593 रकबा 0.35 है0, खसरा नं0 595/739 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 644/737 रकबा 0.11 है0, खसरा
नं0 658 रकबा 0.84 है0, खसरा नं0 659/738 रकबा 0.02 है0 कूल किता 18 रकबा 5.88 है0 में से
वादीगण 1, 2, 3, 4 का हिस्सा 1/5 वादी कम 5 व 6 का हिस्सा 1/10 वादी कम 7 का हिस्सा 1/10
एवं मुताबिक काउण्टरक्लेम प्रतिवादीगण कम 1, 2, 3 का हिस्सा 1/6 प्रतिवादीगण कम 4 व 5 का हिस्सा
1/3 एवं प्रतिवादी कम 6 व 7 का हिस्सा 7/30 अनुसार खाते का विभाजन किया जाता है। तथा
मुताबिक आदेश राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश तहसीलदार मांगरोल को दिया जाता है।
तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। मुद्रांक की हानी यदि हो तो भूमि धारक तहसीलदार मांगरोल अपने स्तर पर
कार्यवाही करें। पत्रावली फौशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 11.09.2017 को
सरेईजलास सुनाया गया।

(हिन्मता राम मेहरा)
उपस्थान अधिकारी
मांगरोल